

200

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-जबलपुर

निग-3522-I-16

नन्दूलाल गौड़ पुत्र श्री गनेशा गौड़,  
निवासी मकान नं. 176, ग्राम रिछाई,  
बरेला, तहसील व जिला - जबलपुर  
(म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा - कलेक्टर  
जिला जबलपुर
- 2- मैसर्स जीन सोशल डब्लर्पमेन्ट  
फाउण्डेशन, एस-191/सी सेकेण्ड  
फ्लोर, स्कूल ब्लॉक, नई दिल्ली  
-110092 द्वारा अधिकृत व्यक्ति वास्तु  
सक्सैना पुत्र श्री जी.एस. सक्सैना,  
निवासी मकान नं. 11 महाकौशल  
सोसायटी, जबलपुर (म.प्र.)

— अनावेदकगण

श्री. राजेश कुमार शर्मा  
द्वारा आज दि. 16.09.16 को  
प्रस्तुत  
कलेक्टर, म.प्र. को  
राजस्व मण्डल, म.प्र. को

196  
06.8.16  
06/10/16

न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/  
अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 के विरुद्ध  
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण में की जा रही समस्त कार्यवाही एवं पारित आदेश, अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, आवेदक ने मौजा रिछाई, प.ह.नं.93 रा.नि.म. खम्हरिया, में स्थित भूमि खसरा नं.225/1, रकवा 3.39 हैक्टेयर में से 1.40 हैक्टेयर भूमि अनावेदक क्रमांक 2 मैसर्स जीन सोशल डब्लर्पमेन्ट फाउण्डेशन, एस-191/सी सेकेण्ड फ्लोर, स्कूल ब्लॉक, नई दिल्ली -110092 द्वारा अधिकृत व्यक्ति वास्तु सक्सैना पुत्र श्री जी.एस. सक्सैना, निवासी मकान नं.11 महाकौशल सोसायटी, जबलपुर को विक्रय करने हेतु आवेदन पत्र म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जिला जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

Kje

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3522 / एक / 2016

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-10-16	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 61/अ-21/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.09.2016 के विरुद्ध म0प्र0 मू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह मांग की गयी थी कि मौजा रिछाई, प.ह.नं.93 रा.नि.म. खम्हरिया, में स्थित भूमि खसरा नं.225/1, रकवा 3.39 हैक्टेयर में से 1.40 हैक्टेयर भूमि अनावेदक क्रमांक 2 मैसर्स जीन सोशल डेवलपमेंट फाउण्डेशन, एस-191/सी सेकेण्ड फ्लोर, स्कूल ब्लॉक, नई दिल्ली -110092 द्वारा अधिकृत व्यक्ति वास्तु सक्सेना पुत्र श्री जी.एस. सक्सेना, निवासी मकान नं.11 महाकौशल सोसायटी, जबलपुर को विक्रय करने हेतु आवेदन पत्र म0प्र0 मू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जिला जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर कलेक्टर जबलपुर द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण में विक्रय अनुमति नहीं दी गयी। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p>	

*RAC*

*M*

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास ग्राम रिछाई में रकवा 3.12 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। जिससे वह उपरोक्त भूमि की विधिवत् देखभाल कर कृषि कार्य करेगा आवेदक अपने आवेदन पत्र में दर्शायी गयी भूमि को इसलिये भी विक्रय करना चाहता है क्योंकि उसके बच्चो की पढाई, माता पिता का इलाज हेतु पैसो की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में उसे उपरोक्त भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो उपरोक्त भूमि से उसे लाभ के स्थान पर हानि होगी। इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। किन्तु कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार नहीं किया है, प्रकरण में स्थिति यह है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र कि विधिवत् जाँच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर द्वारा की गयी थी। तथा प्रकरण में समस्त अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन दिये गये थे। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार कर भूमि विक्रय किये जाने के अनुमति दी जानी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में जो आदेश एवं कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय की गयी है, उसे अपास्त की जाये अंत में आवेदक अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी को स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला जबलपुर का आदेश तथा कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन

*me*

*com*

किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी।


5- उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 19.09.2016 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 19.09.2016 पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

6- आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति बच्चों की पढाई, माता पिता का इलाज तथा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 3.12 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

6/19



3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि उसके भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसी भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।


7- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन से 2 गुना अधिक प्रतिफल पर अनावेदक क्रमांक 2 मैसर्स जीन सोशल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन एस-191/सी सेकेंड फ्लोर, स्कूल ब्लॉक नई दिल्ली के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से अधिक विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं

P  
112

*[Handwritten signature]*

भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/ अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम मौजा रिछाई, प.ह.नं.93 रा.नि.म. खम्हरिया, में स्थित भूमि खसरा नं.225/1, रकवा 3.39 हैक्टेयर में से 1.40 हैक्टेयर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

  
सदस्य

